

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिलापदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)में 05 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 150000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 04 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु ₹ 400000/- (चार लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 550000/- (पाँच लाख पचास हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/ दावेदार पति/पिता का नाम, उग्र, का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)/ दावेदार	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० कांती तांती, 47, श्री भरोसी तांती, अनु० जाति	श्रीमती रूकमणी देवी(पत्नी)	569/17.12.19	ग्रा०+पो०-सन्हौली, था०-चित्रगुप्त नगर, प्र०+जि०-खगड़िया	3467730467 6	भारतीय स्टेट बैंक SBIN0006609	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर के रूप में मजदूर
2	स्व० धर्मदेव पंडित, 55, श्री वीचो पंडित, सामान्य	श्रीमती सीता देवी(पत्नी)	570/17.12.19	ग्रा०-शेखपुरा, पो०-मथुरापुर, था०-मुफसिल, प्र०+जि०-खगड़िया	3291101004 744	केनरा बैंक, CNRB0003291	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कुम्हारगिरी के रूप में कार्य
3	स्व० मो० सकौल, 31, मो० करीम मियां, सामान्य	श्रीमती तबस्सुम खातुन(पत्नी)	571/17.12.19	ग्रा०-कुतुबपुर, पो०-मथुरापुर, था०-मुफसिल, प्र०+जि०-खगड़िया	3501010000 2484	बिहार ग्रामीण बैंक, PUNB0MBGB0 6	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, गैरेज में मजदूर के रूप में कार्य
4	स्व० शिवदत्त कुमार, 22, श्री दिनेश कुमार, सामान्य	श्रीमती रीना देवी(माता)	01/11.01.20	ग्रा०-खरौआ, पो०-बीरबास, था०-पसरहा, प्र०-गोगरी, खगड़िया	2202531155 -1	इलाहाबाद बैंक, ALLA0211239	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, तबजला मरखा के रूप में मजदूर
5	स्व० मंडु मल्लिक, 28, स्व० लल्हु मल्लिक, अनु० जाति	श्रीमती रिंकु देवी(पत्नी)	02/11.01.20	ग्रा०+पो०+था०-पसरहा, प्र०-गोगरी, खगड़िया	3515011003 1204	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, PUNB0MBGB0 6	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, चिमनी भट्टा व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० मंगली देवी, 64, सामान्य	श्री रामस्वरूप निषाद(पति)	03/11.01.20	ग्रा०-बड़ी मैरा, पो०-पौरपांती, था०+ प्र०-गोगरी, खगड़िया	4563020100 05200	यूनियन बैंक, UBIN0545635	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर के रूप में मजदूर
7	स्व० मदन मोहन चौधरी, 19, श्री मूलचन्द चौधरी, अनु० जाति	श्रीमती किरण देवी(माता)	34/23.01.20	ग्रा०-उत्तरी हाजीपुर, पो०-कोशी कॉलेज, था०-चित्रगुप्त नगर, प्र०+जि०-खगड़िया	4624104100 00089	बैंक ऑफ इंडिया, BKID0004624	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर के रूप में मजदूर
8	स्व० ब्रजेश यादव, 30, स्व० ऋषि देव यादव, सामान्य	श्रीमती सीता देवी(पत्नी)	33/23.01.20	ग्रा०-वरखंडी टोला, पो०-मथार, था०-मुफसिल, प्र०+जि०-खगड़िया	2543101000 44621	आंध्र बैंक, ANDB0002543	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य
9	स्व० अरूण साह, 61, स्व० धनेश्वर साह, सामान्य	श्रीमती माला देवी(पत्नी)	32/23.01.20	ग्रा०+पो०-फरह, था०+प्र०-चौधम, खगड़िया	3522013103 8047	बिहार ग्रामीण बैंक, PUNB0MBGB0 6	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर के रूप में कार्य

कुल :- ₹ 550000/-

(पाँच लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-41/2019 के पृष्ठ-20/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-41/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-41/2019-50

पटना, दिनांक :-१०-०१-२०२०

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 550000/- (पाँच लाख पचास हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

(धर्मेन्द्र सिंह)

कार्यकारी निदेशक।